

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सिरौही  
(पीठासीन अधिकारी: के.आर. खौड़, आर.ए.एस.)

अपीलार्थी

तेजाराम, रणछोडराम, भगाराम पुत्र केसाजी, जाति-कलबी, निवासी-मारोल,  
तहसील- रेवदर, जिला- सिरौही

प्रत्यर्थी

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, रेवदर, जिला- सिरौही

बनाम

राजस्व अपील संख्या: 19/2021

“अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956”

उपस्थिति:

1. अधिवक्ता श्री दिलीप राजपुरोहित, अपीलार्थी की ओर से
2. परोकार सरकार (श्री नवलकिशोर माली, तहसीलदार, भू.अ. सिरौही)

—: निर्णय :-

दिनांक 30 सितम्बर, 2021

- (1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं। अपीलार्थी की ओर से यह अपील तहसीलदार, रेवदर द्वारा प्रकरण संख्या 108/2020 में पारित निर्णय दिनांक 10.11.2020 बाबत ग्राम मारोल, पटवार हल्का मारोल के खसरा संख्या 262/1 रकबा 7420 वर्गफीट किस्म ओरण भूमि का अपीलार्थी को अतिक्रमी घोषित करते हुए मौके से बेदखल करने एवं जुर्माना आरोपित करने के आदेश से व्यथित होकर प्रत्यर्थी के विरुद्ध पेश की गई है।
- (2) प्रस्तुत अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थी को सम्मन जारी किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रत्यर्थी की ओर से अपील की सुनवाई के दौरान परोकार सरकार द्वारा उपस्थिति दी गई।
- (3) प्रकरण में दिनांक 29.9.2021 को बहस सुनी गई। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को विवादित भूमि का अतिक्रमी मानकर मौके से भौतिक रूप से बेदखल करने व जुर्माना आरोपित करने का आदेश पारित करने में कानूनन भूल की गई है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि ग्राम मारोल के खसरा संख्या 365 व 262/1 में पुरानी आबादी बसी हुई है तथा अधिकांश ग्रामवासियों के आवासीय मकान खसरा संख्या 262/1 व 365 की भूमि पर बने हुए हैं व मौके पर गत कई वर्षों से अपने परिवार सहित निवास करते आ रहे हैं, जिसकी जानकारी राजस्व अधिकारियों/कर्मचारियों व ग्राम पंचायत को भलीभांति पूर्व से ही है। यह कि जयन्तिलाल कलबी, निवासी- मारोल द्वारा पूर्व में ग्राम मारोल के खसरा संख्या 199 में देवस्थान खेतलाजी की भूमि व रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण कर कब्जा किया गया था जिस पर गांव वालों द्वारा आपत्ति करने पर उक्त व्यक्ति जयन्तिलाल पुत्र चेलाराम, जाति- कलबी तथा अर्जुनराम पुत्र चेलाराम, जाति- कलबी व रमेश लाल कलबी पुत्र चेलाराम, निवासी- मारोल ने बदले की भावना से झूठे तथ्यों के आधार पर एक रिट याचिका संख्या 222/2020 माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर प्रस्तुत की जिसको दिनांक 17.1.2020 को निस्तारित कर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा जिला कलक्टर, सिरौही के समक्ष प्रतिवेदन देने के निर्देश दिये थे, परन्तु



d  
श्री. जिला कलक्टर  
सिरौही (राज.)





आवासीय पट्टे जारी किये है उनमें संबंधित व्यक्तियों द्वारा सिविल वाद प्रस्तुत कर सिविल न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त किया हुआ है। यह कि राजस्थान सरकार के राजस्व (ग्रुप-6) विभाग द्वारा जारी परिपत्र संख्या प.6(39)राज-6/2001/6 दिनांक 07.6.2003 के द्वारा चारागाह भूमि पर दिनांक 1.1.1972 से पूर्व के कब्जों को नियमन करने के निर्देश दिये है। राजस्थान सरकार के राजस्व विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक:प.9(6)राज-6/2000/10 दिनांक 07.9.2017 के द्वारा सिवायचक भूमि पर दिनांक 01.1.2017 तक आवास गृह बनाकर किये अतिक्रमित भूमि को चिन्हित कर आबादी विस्तार हेतु आवंटन करने के निर्देश दिये गये है। राजस्थान सरकार के राजस्व विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक:प.9(6)राज-6/2000/10 दिनांक 07.9.2017 द्वारा जारी निर्देशों के सन्दर्भ में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर ने पत्र संख्या एफ.4(78)सिवायचक/नियमन/विधि/पंरा/2017/1102 दिनांक 15.9.2017 के द्वारा समस्त जिला कलक्टरों व जिला परिषद् के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को यह निर्देश जारी किये है कि राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 07.9.2017 अनुसार सेट अपार्ट कर पंचायत को आवंटित की गई भूमि के पट्टे ग्राम पंचायत द्वारा अपने नियमों के अन्तर्गत ऐसे अतिक्रमियों से राशि लेकर जारी किये जायेंगे। यह कि राजस्थान सरकार के राजस्व (ग्रुप-6) विभाग के पत्र क्रमांक प. 9(20)राज-6/17/ दिनांक 10.7.2019 एवं विभागीय पत्र दिनांक 14.12.2017 व 20.5.2019 में भी यह स्पष्ट निर्देश दिये है कि चारागाह भूमि पर से अतिक्रमण का निस्तारण करते समय यदि अतिक्रमित भूमि आबादी प्रयोजनार्थ काम में आ रही है तो सम्पूर्ण क्षेत्र का सर्वे करवाकर अतिक्रमित भूमि पर उसे परिवारों की सूची बनाकर उसको नियमित करने का प्रावधान किया है एवं इसी सन्दर्भ में राज्य सरकार ने एक परिपत्र क्रमांक प. 9(6)/2020/10 दिनांक 07.9.2017 को जारी कर यह निर्देश दिये है कि यदि किसी व्यक्ति का 300 वर्गगज तक अतिक्रमण है एवं अतिक्रमित भूमि का उपयोग आवासीय रूप में किया जाता है तो ऐसी अतिक्रमित भूमि का संबंधित व्यक्ति के पक्ष में नियमन किया जावे, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने राज्य सरकार के उक्त निर्देशों व परिपत्रों की अवहेलना कर आलोच्य आदेश पारित किया है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा भी डी.बी.स्पेशल अपील रिट संख्या 233/2020 में दिनांक 09.9.2020 को भी यह आदेशित किया है कि भूमिहीन व्यक्तियों के गोचर भूमि में निर्मित आवासीय मकानों को नहीं हटाया जावे, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय पर गौर किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को विवादित भूमि से बेदखल करने के आदेश पारित करने में बेदखल करने के कारण का उल्लेख नहीं किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई का भी समुचित अवसर प्रदान नहीं किया है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के प्रतिकूल है। यह कि ग्राम मारोल की आधी आबादी खसरा संख्या 262/1 व 365 में बसी हुई है तथा उस पर ये लोग अपने पूर्वजों के समय से काबिज होकर भूमि का आवासीय उपयोग करते आ रहे है, इसलिये अधीनस्थ न्यायालय व ग्राम पंचायत का यह दायित्व था कि उक्त भूमि की किस्म को आवासीय में परिवर्तित करवाते एवं वर्तमान में उक्त भूमि की किस्म परिवर्तित की जाती है तो उसमें ग्राम पंचायत, मारोल को किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं है, इस संबंध में ग्राम पंचायत ने प्रमाण पत्र भी जारी किया है। अतः अपीलार्थी की अपील को स्वीकार किया जाकर अपीलाधीन निर्णय को निरस्त किया जावे तथा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 92 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 272 के नियम 7 में दी गई शक्तियों का प्रयोग कर उक्त भूमि की किस्म आवासीय में परिवर्तित करवाने के आदेश पारित करावे। जबकि विद्वान परोकार सरकार ने बहस के दौरान यह व्यक्त किया कि हल्का पटवारी, मारोल द्वारा अपीलार्थी के विरुद्ध संवत् 2077 में विवादित भूमि पर अतिक्रमण बाबत रिपोर्ट

.....चार पर



अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत करने पर प्रकरण दर्ज किया जाकर नोटिस जारी किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए बाद जांच विधि अनुरूप निर्णय पारित किया है, इसलिये अपीलार्थी की अपील को खारिज किया जावे।

(4) उभय पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि हल्का पटवारी, मारोल द्वारा अपीलार्थी के विरुद्ध संवत् 2077 में ग्राम मारोल, पटवार हल्का मारोल के खसरा संख्या 262/1 रकबा 7420 वर्गफीट किस्म ओरण भूमि पर अतिक्रमण कर पक्का घर/बाडा बनाने की रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत करने पर अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थी के विरुद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज किया जाकर अपीलार्थी को विवादित भूमि पर अतिक्रमण बाबत नोटिस जारी किया जाकर नोटिस की तामिल करवाई गई। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर दिया गया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य भ्रस्पष्ट है कि अपीलार्थी ने खसरा संख्या 262/1 किस्म ओरण राजकीय बिलानाम भूमि पर अतिक्रमण कर कब्जा किया है, जो प्रतिबन्धित श्रेणी की भूमि है। ऐसी स्थिति में, अपीलार्थी की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

अतः अपीलार्थी की अपील को खारिज किया जाता है। निर्णय सुनाया गया।



(क.आर.खौड)  
अतिरिक्त जिला कलेक्टर  
सिरौही